

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 438/2013/उदयपुर.

राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर जरिये अधिकृत मंत्री
कन्हैयालाल उपाध्याय पुत्र श्री नर्बदा शंकर उपाध्याय,
निवासी राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर.

.....प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार उप पंजीयक, उदयपुर (द्वितीय).

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ईश्वर देवड़ा व श्री सुनील पारीक,
अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री जमील जई, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/09/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त-उदयपुर (जिसे आगे 'कलेक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 184/06 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.03.2012 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर जरिये मंत्री श्री शिवचरण गोयनका पिता श्री पन्नालाल गोयनका निवासी डूंगरपुर द्वारा संघ की खेमपुरा उदयपुर स्थित 13.11 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि शैक्षणिक व उद्देश्यनीत प्रयोजनार्थ संचालन हेतु राजस्थान सेवा संघ उदयपुर इकाई को जरिये संस्थापक निदेशक डॉ. उदयभान सिंह पिता स्व० श्री मदनमोहन सिंह निवासी उदयपुर को प्रदान की जाकर दस्तावेज निष्पादित किया जाकर पंजीयन हेतु उप-पंजीयक उदयपुर-द्वितीय के समक्ष दिनांक 10.05.2006 को प्रस्तुत किया गया। उप-पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को लीज पर दिया जाना एवं दस्तावेज में लीज अवधि का उल्लेख नहीं होने से कन्वेस मानते हुए कुल मालियत रुपये 2,70,00,000/- प्रस्तावित करते हुए रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक 21.03.2012 से रेफरेंस को यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थी से कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति सहित कुल रुपये 17,85,000/- की मांग कायम की गयी। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

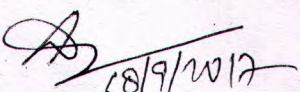
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
4. बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण का कथन है कि प्रश्नगत सम्पत्ति का किसी प्रकार का विक्रय अथवा लीज नहीं की गयी है। केवल संस्था के शैक्षणिक व सांमाजिक कार्यों के संचालन हेतु दस्तावेज का निष्पादन करते हुए उदयपुर इकाई को अधिकृत किया गया है। सभी प्रकार का स्वामित्व व विधिक हस्तक्षेप डूंगरपुर स्थित इकाई का ही है। उप-पंजीयक एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा बिना किसी आधार के प्रश्नगत अधिकार-पत्र को लीजडीड अवधारित करते हुए तदनुसार मांग सृजित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषकगण ने अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विवेचित किये बिना एवं प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना साईक्लोस्टाईल्ड प्रारूप में पारित किया गया निगरानी अधीन आदेश गैर कानूनी एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। विद्वान अभिभाषकगण द्वारा यह भी कथन किया कि द्वितीय पक्षकार डॉ. उदयभान सिंह का स्वर्गवास वर्ष 2009 में ही हो गया था, जिसकी सूचना कलेक्टर (मुद्रांक) को दिनांक 18.10.2010 को दी जा चुकी थी। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस सम्बन्ध में उप-पंजीयक को पत्र दिनांक 01.04.2011 व 22.9.2011 जारी करते हुए डॉ. उदयभान सिंह के कायम मुकाम की कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया था, किन्तु उप-पंजीयक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा भी कायम मुकाम की कार्यवाही के बिना ही एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया, जो पूर्णतया अविधिक आदेश है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की किये जाने का निवेदन किया गया।
5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।
6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पक्षकारों को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर, प्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स अनुसार

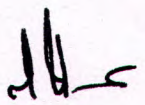
बिक्रीत सम्पत्ति की मालियत निर्धारित कर इस पर देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति की राशि वसूली हेतु साईक्लोस्टाइल प्रारूप में निगरानी अधीन आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा बिक्रीत सम्पत्ति की मालियत निर्धारण हेतु ना तो मुद्रांक नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई जांच किया जाना पत्रावली से प्रकट होता है एवं ना ही कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण के तथ्यों को निगरानी अधीन आदेश में विवेचित किया गया है। इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित किया गया साईक्लोस्टाइल्ड आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अपास्त योग्य पाया जाता है।

8. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि द्वितीय पक्षकार डॉ. उदयभान सिंह का स्वर्गवास हो चुका है, जिसकी सूचना कलेक्टर (मुद्रांक) को भी दे दी गयी थी एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा भी उप-पंजीयक को इस सम्बन्ध में कायम मुकाम की कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया था, किन्तु कायम मुकाम की कार्यवाही हुए बिना ही कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा डॉ. उदयभान सिंह के विरुद्ध कमी मुद्रांक/पंजीयन व शास्ति सम्बन्धी मांग कायम की गयी है, जो कि विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है। अतः इस सम्बन्ध में कलेक्टर (मुद्रांक) को निर्देशित किया जाता है कि डॉ. उदयभान सिंह के कायम मुकाम की कार्यवाही करने के पश्चात् विधिसम्मत आदेश पारित करें।

9. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 21.03.2012 अपास्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे डॉ. उदयभान सिंह के कायम मुकाम निर्धारित करते हुए एवं प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सम्पत्ति की मालियत निर्धारण हेतु राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों के अनुरूप जांच एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात प्रश्नगत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का निर्धारण करते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क देयता का विधिसम्मत आदेश पुनः पारित करें।

10. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष